संख्या: 41/2021/1363565/12-2099/86/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2021

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था कराने, उर्वरकों की बिक्री/वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से कराने एवं यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की ओवररेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी रोकने हेतु सतत् निगरानी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 20/2020/1371/12-2-2020-एफ.42/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या-22/2021/1363565/12-2099/86/2021 दिनांक 25 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की सुगमतापूर्वक बिक्री/वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराये जाने तथा अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवररेटिंग, तस्करी, यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग रोकने हेतु कृषि, राजस्व, विकास विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख में तथा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में उर्वरक वितरण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में खरीफ की फसलों की बुआई/रोपाई का कार्य कृषकों द्वारा तीव्र गति से किया जा रहा है तथा इस निमित्त कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का तेजी से क्रय एवं फसलों में प्रयोग भी किया जा रहा है। ऐसे समय में यह सुनिश्चित करना है कि कृषकों को उनकी जोत के अनुसार उर्वरक निर्धारित दरों पर प्राप्त हो एवं जमाखोरी, कालाबाजारी/अधिक दामों पर बिक्री/यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उर्वरकों/उत्पादों की टैगिंग पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। तद्क्रम में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए निम्नलिखित कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये:-

(i) समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करायी जाये तथा पी0ओ0एस0 में प्रदर्शित स्टॉक का बिक्री केन्द्र में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक से सत्यापन कराया जाये।

(ii) वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य उर्वरक यूरिया की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाये, यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही करायी जाए।

(iii) उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा यूरिया उर्वरक के साथ जबरन किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरक/उत्पादों की टैगिंग करके बिक्री न की जाये। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाये, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया एवं

डी0ए0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक/उत्पाद भी क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है। बाध्यता की पुष्टि होने पर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(iv) कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर ही नियंत्रित तरीके से फसल की संस्तुतियों के अनुरूप उर्वरकों का वितरण/बिक्री हो, जिससे समस्त कृषकों की मांग को पूरा किया जा सके।

(v) जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरकों की सुगमतापूर्वक कृषकों की मांग/आवश्यकता के अनुरूप वितरण कराये जाने हेतु सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक बिक्री केन्द्र की सतत निगरानी किए जाने हेतु कृषि, सहकारिता, ग्राम्य विकास विभाग एवं यथावश्यक अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की उर्वरक बिक्री केन्द्रवार ड्यूटी लगायी जाए।

(vi) फुटकर के साथ-साथ थोक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टाक का भी सघन निरीक्षण किया जाए। यह अवश्य देखा जाए कि कहीं थोक विक्रेता अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण स्थानीय स्तर पर कर कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर रहे हों। यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है तो स्टाक को बाजार में कृषकों में बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाए एवं सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाए।

(vii) शासनादेश संख्या: 33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के द्वारा सुगमतापूर्वक गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित है। समिति द्वारा जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरक की क्षेत्रीय कृषकों की वास्तविक मांग के अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों हेतु आवंटन किया जाये, जिससे जनपद के समस्त क्षेत्रों में मांग के अनुरूप सुगमतापूर्वक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करायी जाये।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन/अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों अथवा उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश,1985 तथा आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित सुसंगत प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 41/2021/1363565(1)//12-2099/86/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/औद्यानिक संघ/गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ समस्त जिला कृषि अधिकारी,, उत्तर प्रदेश,
7. समस्त राज्य विपणन प्रबंधन/विपणन प्रबंधक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in